न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 564/2023
अनवान : –

1. प्रहलाद राय पुत्र संतलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सन्तलाल पुत्र बीरबल राम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 की कुल 3.5780 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में बीरबलराम के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 के ख0न0 254/4 की 1.8210 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 के खसरा न0 321/2 की 0.5690 हैक्ट भूमि, ख0न0 322/3 की 0.6830 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार रहेगा एवं ख0न0 317/4 की 1.0120 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2075–78 रोही मौजा जबरासर खाता संख्या 485/256 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा जोखासर खाता संख्या 184/166 प्रदर्श–2, जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग रोही मौजा जोखासर सम्वत 2029 से 2038 प्रदर्श–3, जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग रोही मौजा जबरासर सम्वत 2029 से 2038 प्रदर्श–4, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–5 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 की कुल 3.5780 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 3 व 4 से स्पष्ट साबित है कि उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित [illegible] कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 के ख0न0 254/4 की 1.8210 हैक्ट, खसरा न0 325/3 की 1.7570 हैक्ट कुल 3.5780 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 के खसरा न0 317/4 की 1.0240 हैक्ट, 321/2 की 0.5690 हैक्ट, 322/3 की 0.6830 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 के ख0न0 254/4 की 1.8210 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 के ख0न0 325/3 की 1.7570 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 के ख0न0 321/2 की 0.5690 हैक्ट, ख0न0 322/3 की 0.6830 हैक्ट का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 के ख0न0 317/4 की 1.0240 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 564/2023
अनवान : –

1. प्रहलाद राय पुत्र संतलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सन्तलाल पुत्र बीरबल राम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 564 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 के ख0न0 254/4 की 1.8210 हैक्ट, खसरा न0 325/3 की 1.7570 हैक्ट कुल 3.5780 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 के खसरा न0 317/4 की 1.0240 हैक्ट, 321/2 की 0.5690 हैक्ट, 322/3 की 0.6830 की कुल 2.2760 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 के ख0न0 254/4 की 1.8210 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 485/256 के ख0न0 325/3 की 1.7570 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 के ख0न0 321/2 की 0.5690 हैक्ट, ख0न0 322/3 की 0.6830 हैक्ट का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/166 के ख0न0 317/4 की 1.0240 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर